

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई
आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी
निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरस्थाना
जिला झालावाड

प्रकरण संख्या: 81/दावा/2020

तारीख दायरा: 09.07.2020

उनवान्

1. बनवारी लाल पिता बाल मुकन्द जाति महाजन निवासी मनोहरस्थाना तहसील मनोहरस्थाना जिला झालावाड (राज0) (वादी)

बनाम्

1. बीरम पुत्र मोत्या जाति लोधा निवासी चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरस्थाना
2. पुष्पा पुत्री मोत्या जाति लोधा निवासी चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरस्थाना
3. गुलाब बाई बेवा मोत्या जाति लोधा निवासी चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरस्थाना
4. गजानन्द पिता खेमा उर्फ खेमचन्द जाति लोधा निवासी चांदपुरा कस्बा
5. रतना पुत्र रोडा जाति लोधा निवासी चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरस्थाना
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरस्थाना जिला झालावाड (राज0) (प्रतिवादीगण)

वाद धारा 53 राज0टी0एक्ट

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री कैलाश चन्द वैष्णव वकील मिन जानिब मुदई रूबरू श्री केसरी सिंह पुष्पद मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :

ग्राम चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरस्थाना के माल की खाता सं0 नया 155 पुराना 146 की आराजी खसरा नम्बर 653 रकबा 0.8094 हैक्टर भूमि में से वादी का हिस्सा 7/15 भाग व प्रतिवादी नं0 5 रतना का हिस्सा 1/3 भाग आराजी पृथक-पृथक खाते दर्ज करने के आदेश दिये गये थे , अतः अब निम्न प्रकार खाते का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे-



वादी बनवारी लाल

प्रतिवादी नं0 5 रतना

ख0नं0	रकबा	किस्म भूमि	दिशा
653	0.3777 है0	बारानी प्रथम	प्रतिवादी बीरम पुत्र मोत्या वगैरे के उत्तरी तरफ

ख0नं0	रकबा	किस्म भूमि	दिशा
653	0.2698 है0	बारानी प्रथम	ख0नं0 654 के लगवा दक्षिणी तरफ

नजरी नक्शा:-



आज दिनांक 04.02.2021 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से जारी की गई।



(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरस्थाना, जिला झालावाड

15/12/2020 - प्लावली पेश हुई। कुल्लार फरीकेन उपस्थित

वकील वादी एवं जॉर्ज 0.5 की आश से मुताबिक रेकर्ड

विभाजन विद्यमान होने की लहमार्त जकर की. डेर: प्लावलीकं

के. ए. डेडिगांड 17/12/2020 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

17/12/2020 - प्लावली पेश। कुल्लार फरीकेन उपस्थित। उमय पक्ष

को सुना गया। प्लावली का डेवलोकन किया। वाद वादी

एवं जॉर्ज 0.5 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर

प्राथमिक डिप्टी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि जॉर्ज

चांदपुरा काका की आश्रीकरण नं. 653 संख्या 0.8094 हेक्टर

भूमि से सेवादो का हेर 7/15 व जॉर्ज 0.5 का हेर 1/3

उधक-उधक खोले दर्ज करने हेतु तहसीलदार राजस्थान

मंडल के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्ला किया

क पेश करी प्राथमिक डिप्टी जारी हो। TDR मंजूर

को वालका हेतु दी जाकर पालन जापत होने पर

का दि. 7/01/2021 को पेश हो विहित निर्वाह उधक के

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

7/1/2021

प्लावली पेश हुई। बर-संव द्वारा हड़ताल/शोकसभ्य

न्यायिक प्रेम्बी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से

अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य रावस्थ कार्य

धमन/अधिकांश में प्लावली

दिनांक 1-2-2021 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

04/2/2021 - प्लावली पेश। वकील उमय पक्ष उप. तहसील में

विभाजन प्ला जापत। जिस पर कोर्ट काफिर न होने के

कारण वाद वादी फाइनल डिप्टी किया जाता है।

मुताबिक विभाजन प्ला फाइनल डिप्टी जारी हो प्लावली

फाइनल सुभार की जोके व नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

Handwritten signature and notes in the bottom left corner.